Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 3, No. 6, January-June, 2017 ISSN : 2394-2878

कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था : एक विश्लेषण

डॉ0 अनिल प्रताप सिंह*

भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है और यहां की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है तथा कृषि कार्य में ही संलग्न है जिसकी आजीविका का साधन कृषि ही है, का आर्थिक विकास बिना कृषि विकास के समभव नहीं है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अनेक उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है जैसे– चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग आदि। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 15 प्रतिशत है। केवल औद्योगीकरण के आधार पर विकास करने वाले देश की अर्थव्यवस्था प्रायः खतरा पैदा करती रहती है। कभी–कभी तो ऐसे देश दीवालिया होने के कगार पर पहुँच जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को हम हाथी की उपमा दे सकते हैं जिस प्रकार विशालकाय हाथी छोटी–छोटी चोटों को सहने में सक्षम होता है और अपनी एक निश्चित गति से गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलता रहता है, उसी प्रकार भारत देश जिसके पास कृषि का मजबूत आधार है वह छोटी–छोटी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। ऐसे मजबूत आधार वाले देश का आर्थिक सुधार कृषि के सुधार के साथ स्वमेव होता चला जायेगा।

कृषि सभी उद्योगों की जननी औन मानव जीवन की पोषक रही है। औद्योगीकरण कृषि विकास की ही देन है। विकसित राष्ट्र इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान आदि में कृषिगत विकास ने तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। भारत के अपने कृषि विकास के लिए नयी योजनाओं की आवश्यकता है। हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं फिर भी कृषि के लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर हैं। हमारे लिए यह चिंतन का विषय होना चाहिए कि कृषि को हम प्रकृति पर ही निर्भर न होने दें बल्कि कृत्रिम साधनों का विकास करके कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करें। मौसम के बदलते तेवर को देख कर यह बात निश्चित रूप से चिंतनीय है।

कल हमारे देश की तस्वीर कैसी होगी इसको लेकर हम चिंतित अवश्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदम, इंटरनेट का फैलताजाल, हमारी तीव्र गति में बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या हम इस बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पायेंगे, यह प्रश्न हमें उद्वेलित किये हुए है।

भारत में आर्थिक सुधार के लिए सरकार के द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इस आर्थिक सुधार के लिए कृषि विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व में तरह–तरह की योजनायें बनायी जाती रही हैं लेकिन सभी योजनायें मात्र कागजी नाव साबित हुई है। आज हमारे समाज की पहचान भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरी और डकैती से है। साथ ही राजनीति और नौकरशाही में नीचे से लेकर ऊपर तक फैला भ्रष्टाचार जो कोढ़ की तरह समाज को तिल–तिल कर गला रहा है। क्या ऐसी स्थिति में देश की कृषि विकास और आर्थिक सुधार सम्भव होगा यह एक विचारणीय विषय है।

वर्तमान में सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिये बहुत सी योजनाएँ बनायी गयी हैं जिनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश की कृषि उन्नत हो और हमारा किसान आत्म हत्या न करे उसे एक अच्छी जिन्दगी जीने का अवसर प्राप्त हो। सरकार की प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित है–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान :

इसकी स्थापना 2007–2008 में गेहूँ, धान और दाल के उत्पादन की बृद्धि के लिये की गयी थी। 2014–2015 से 28 राज्यों के 623 जनपदों में यह अभियान चल रहा है। 2015–2016 से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार 50:50 के अनुपात में इस अभियान में धन खर्च करने की बात तय हुई थी।

2. स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय अभियान :

कृषि को और अधिक उत्पादक बनाने, मौसम की मार से बचाने, लाभकारी बनाने एवं स्थायी रूप से कृषि का विकास करने के लिये इसकी स्थापना 2014–2014 में की गयी। इसके अन्तर्गत किसानों की

* एसोसिएट प्रोफेसर– वाणिज्य, हरिशचन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

भूमि के स्वस्थ्य परीक्षण के लिये कार्ड बनाये गये। इस स्कीम को सफल बनाने के लिय बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 568.54 करोड़ कोष की व्यवस्था की गयी।

3. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक अभियान :

कृषि विस्तार को मजबूत बनाने के लिये, जिससे आवश्यक तकनीकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में हो सके, यह अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत कृषि क्लीनिक, कृषि व्यवसाय केन्द्र, किसान काल सेन्टर, किसान पोर्टल, डी.डी. किसान चैनल आदि की स्थापना की गयी है।

4. कृषि विपणन के लिये एकीकृत योजना :

किसानों को आधुनिक संसाधनों से युक्त अधिक बाजार मिले तथा वह अच्छी कीमत वसूल कर सकें तथा ग्राहकों को अच्छा उत्पाद प्रदान करें। इसके लिये इस स्कीम की स्थापना की गयी।

5. **कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना :**

कीमतो में स्थिरता बनाये रखने के लिये इस स्कीम की स्थापना की गयी। इसके लिये 500 करोड़ की संग्रहराशि रखी गयी जो राज्यों को विना व्याज के ऋण के रूप में दी जायेगी, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके।

6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना :

2015–2016 के बजट में 5300 करोड़ रूपये का प्रावधान सिंचाई के लिये किया गया जिससे किसान के हर खेत को पानी मिल सके।

7. राष्ट्रीय फसल बीमा योजना :

पूर्व की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नाम बदल कर यह योजना नये रूप में लागू की गयी। इसके द्वारा किसानो की फसल को सुरक्षित रखने एवं हानि की भरपाई करने की व्यवस्था की गयी है। किसान फसल की बीमा कराके मौसम की मार से होने वाली हानी से अपनी सुरक्षा कर सकता है।

8. कृषि ऋण :

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने कृषिऋण व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 के लिये 850000 करोड़ धनराशि ऋण के रूप में वितरित करने का लक्ष्य रखा है। 31 दिसम्बर 2015 तक 630244 करोड़ वितरित किया गया।

सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिये उपर्युक्त योजनाएँ लागू की गयी हैं और इन्हें प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोई भी योजना तभी सफल होती है ज बवह जमीनी स्तर पर लागू हो पाये। किसानों के लिये योजनाओं की कमी नहीं है किन्तु उनका क्रियान्वयन अभी बहुत धीमा है। आज भी अधिकांश किसान फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, ऋण लेने से घवराते हैं, उत्पादन को मण्डी तक न ले जाकर सेठ साहूकारों के हाथ बेंच देते हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक करना नितान्त आवश्यक है। किसान जबतक पूर्ण शिक्षित नहीं होगा तब तक योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। कुछ कुछ शिक्षित लोग हीं योजनओं का दोहन करेंगे और लाभ उठायेंगे। अधिकांश किसान सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे।

देश की आजादी के 69 वर्षो बाद भी हमारा किसान आर्थिक कठिनाईयों से जूझता हुआ आत्महत्या करने क लिए विवश हो रहा है। भूख व गरीबी का दंश झेलते हुए परिवार, हाड़की ठठरी बने मानव, रोटी के लिए तरसते बालक आज भी बहुतायत में दिख रहे हैं। इन्हें देख कर यह लगता है कि आजादी के 69 वर्ष हमने यूँ ही गंवा दिये हैं। सब के लिए शिक्षा का नारा देने वाली सरकार शिक्षा को निजीकरण के कचड़े में ढकेलती जा रही है, क्या निजी शिक्षा व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान को पूरा कर पायेगी? क्या गरीब किसान का बच्चा इस निजी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित हो पायेगा? यदि नही तो क्या हम अपने देश का आर्थिक सुधार कर पायेंगे। देश का आर्थिक सुधार केवल प्रत्येक हाथ में मोबाइल ला देने से नहीं होगा। हम प्रत्येक हाथ में मोबाइल पकड़ा कर अपने देश के लिए विकास का यदि दम्भ भर रहे हैं, तो यह देश के लिए हितकर नहीं है। हम जिस सूचना क्रान्ति की बात कर रहे हैं उसका महत्व तो तब है जब घर बैठा किसान अपने मोबाइल से फसल की सही कीमत की जानकारी प्राप्त कर सके उसे मण्डी तक बिना गये फसल की सही कीमत प्राप्त हो सके किन्तु अभी ऐसा नहीं है।

आर्थिक सुधार तो तब होगा जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया हो जाय जिसका की नितान्त अभाव है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत 73 प्रतिशत है। इस प्रतिशत में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो केवल अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नितान्त अभाव है। सामाजिक सुरक्षा के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। जिस देश की जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पा रही हो उस देश की अर्थिक सुधार करने के लिए सर्वप्रथम देश की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि विकास पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आज भी हमारे देश में बहुतायत परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी मुहैया नहीं है। हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं लेकिन यदि हमारे ही देश की अधिकांश जनता भर पेट भोजन नहीं पा रही है तो आत्म निर्भरता कहां है? आर्थिक सुधार के लिए आर्थिक उदारीकरण का चक्र जब से प्रारम्भ हुआ है तब से निरन्तर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ रहा है। आर्थिक उदारीकरण के पूर्व यह प्रतिशत लगभग 28–29 था जो वर्तमान में बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस आर्थिक उदारीकरण से एक तरफ धनाड्य वर्ग और आधिक धनी होता जा रहा है तथा निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन हो रहा है। गांव के किसान की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। किसान को न तो समय से अच्छे बीच मिल रहे हैं और न ही उर्वरक उपलब्ध हो रहा है, न ही बिजली पर्याप्त मिल रही है ऐसे में किसान कृषि कार्य को सुचारू रूप से कैसे कर सकता है। किसान को उचित कीमत पर उर्वरक की उपलब्धता आज भी नहीं है। उसे अधिक कीमत देकर उर्वरक प्राप्त करना पड़ रहा है तथा उसकी शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। किसान आज भी कर्ज में डूबा रह रहा है। किसी प्रकार परिश्रम करके जो वह फसल उत्पादित कर भी रहा है उस फसल की उचित कीमत किसान को नहीं मिल पा रही है, इसका लाभ विचौलिया ले रहा है क्योंकि किसान के यहां जब फसल उत्पादित होती है तो उसके फसल की कीमत कम हो जाती है किन्तु किसान इस कम कीमत पर भी अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होता है क्योंकि उसके पास भण्डारण की सुविधा नहीं है तथा वह किसी न किसी के कर्ज में फंसा है जिसको चुकान के लिए भी कम कीमत पर फसल बेचना उसकी मजबूरी बन जाती है। जिस देश का किसान इतने झंझावत से जूझ रहा हो, पूरा तन किसी भी मौसम में पूरा ढ़का न रहता हो, दो वक्त की रोटी हमेशा उपलब न हो, ऐसे किसानों वाले देश का आर्थिक सुधार बिना किसी विकास के कभी सम्भव नहीं है। देश का अर्थिक विकास तभी सम्भव है जब गंधी जी के विचारों पर ध्यान देकर गांवों को विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। गंव खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होंगे तभी देश का सम्पूर्ण विकास सम्भव होगा।

अतः देश के आर्थिक सुधार के लिए कृषि को विकसित करने की आवश्यकता है। कृषि को विकसित करने के लिए आवश्यक होगा कि किसानों को उचित कीमत पर, उचित समय पर एवं उचित स्थान पर कृषि आ–दा जैसे– उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन, आधुनिक कृषि यंत्र एवं उपकरण, कीटनाशक दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। इनकी उपलब्धता के लिए सरकार को ध्यान देना होगा। जिस प्रकार सरकार चीजों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है उसमें किसानों को यह सुविधाएं मिल पाना मुश्किल है। जिस प्रकार विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) का शिकंजा देश पर कसता जा रहा है, पेटेंट अधिनियम लागू होता जा रहा है उसमें छोटे और गरीब किसान किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ पायेंगे। हमारी कृषि भी विकसित देशों के हाथों में गिरवी हो जायेगी। जिस प्रकार विदेशी उन्नत बीज का प्रयोग हमारे देश में बढ़ता जा रहा है जिसकी विशेषता है कि वह अच्छा उत्पादन तो दे रहा है लेकिन उसे पुनः बीज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में किसान विदेशी बीजों पर निर्भर होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारा किसान बीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जायेगा। अतः सरकार द्वारा ऐसे बीजों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें अपने देश में ही विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम आर्थिक सुधार का स्वप्न देखते–देखते आर्थिक गुलामी के चंगुल में फंसते चले जायेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसानो के हितों को ध्यान में रखत हुए निजीकरण की व्यवस्था को आगे बढ़ाये।

आज भी कृषि उत्पाद ही एक मात्र ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत उत्पादक अर्थात् किसान नहीं तय करता बल्कि सरकार और बिचौलिये तय करते हैं जबकि अन्य सभी उत्पादों की कीमत उत्पादक स्वयं तय करता है। जब उत्पादक के उत्पादन का मूल्य दूसरा कोई तय करेगा तो उत्पादक को कितना लाभ होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि किसान के उत्पादन का सही मूल्य दिलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें। किसान अपनी फसल को उचित कीमत न पाने के कारण खेतों में जला दे रहे हैं, यदि उनको लागत से कम पर माल बेचना पड़ेगा तो वह कैसे खुशहाल रह सकते हैं? सरकार को चाहिए कि वह किसानों को उनके फसल के भण्डारण की सुविधा प्रदान करे जिससे किसान अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त कर सके। जिससे किसान को अपनी फसल खेतों में जलाना न पड़े तथा किसान दुःखी होकर आत्महत्या करने पर मजबूर न हो।

अभि हाल में ही महाराष्ट्र के किसानों ने जो आन्दोलन किया वह निश्चित रूप से जायज था। उनकी मांग थी कि किसान के उत्पादन की कीमत निर्धारित करते समय उनकी लागत को ध्यान में रखा जाय और उसमें पर्याप्त लाभ जोड़ कर तब न्युनतम समर्थन मूल्य तय किया जाय। दुर्भाग्य है कि आज भी किसान की उपज की कीमत उसके उत्पादन से तय होती है। उत्पादन अधिक तो मूल्य कम, उत्पादन कम तो मूल्य अधिक। प्याज यदि अधिक पैदा हो गयी तो थोक कीमत 1 रूपये किलो हो जाती है और यदि कम हुई तो किसान यदि 10 रूपये किलो पाता है विचौलिया 100 रूपये किलो तक बेच देते हैं। किसान को अपनी लागत भी वसूल नहीं होती और वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है।

कृषि जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं उसे करने वाले किसान यदि सुखी नहीं है इसका सीधा अर्थ है कि हमारी रीढ़ कमजोर हो रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था जिसे हम हाथी की उपमा दे रहे हैं वह भी चरमरा कर टूट जायेगी।

सन्दर्भ सूची :–

1. इण्डिया इयर बुक 2016
2. इण्डिया इयर बुक 2017
3. इकोनामिक सर्वे 2016–2017
4. रूद्र दत्त एवं सुन्दरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था 2016, एस. चान्द, नई दिल्ली
5. माजिद हुसैन, एगरिकल्चर जागरफी, रावत पब्लिकेशन
6. www.landesa.org
7. en.m.wikipedia.org
8. www.tnau.ac.in
9. India.gov.in>my-government>schemes